परिशिष्ट 'अ'

[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क. 1969]

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 25/04/2012.

कमांक बी–7(बी)29/2011/2/पांच. राज्य शासन एतद्द्वारा पंजीयन विभाग के अन्तर्गत मंत्रि–परिषद के निर्णय दिनांक 31.01.2012 के अनुसार नये उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

(1) प्रस्तावित स्थान तहसील मुख्यालय हो तथा उसके लिये नगर पंचायत/नगर पालिका गठित हो ।

(2) प्रस्तावित पंजीयन कार्यालय से अनुमानित पंजीयन शुल्क राजस्व रुपये पांच लाख से अधिक तथा पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 1000 से अधिक हो ।

(3) प्रस्तावित स्थान की वर्तमान में संचलित पंजीयन कार्यालयों से दूरी 25 किमी. से अधिक हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी.श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्र. बी–7(बी)29/2011/2/पांच. भोपाल दिनांक 25/04/2012

प्रतिलिपि–

1– मा.मंत्रीजी वाणिज्यिक कर के विशेष सहायक।
2– प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,वाणिज्यिक कर विभाग के स्टाफ आफिसर।
3– महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल।
4– महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
6– संबंधित कोषालय अधिकारी।
7– संयुक्त संचालक,जनसंपर्क (प्रेस प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल।
8– गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग

अध्याय - VI

प्रादेशिक खण्ड

(टेरिटोरियल डिवीजन)

जिले तथा उप जिले

51. वर्तमान में राज्य में 47 पंजीयन जिले एवं 304 पंजीयन उप जिले हैं।

पंजीयन कार्यालय

52. प्रायः सभी पंजीयन कार्यालय जिला, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों में स्थित हैं।

पंजीयन कार्यालयों की संख्या

53. राज्य में 306 पंजीयन कार्यालय हैं। इनमें से 216 विभागीय उप पंजीयक के कार्यालय तथा शेष पदेन 90 कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 37 संयुक्त उप पंजीयक कार्यालयों की स्थापना अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक बी–6–16 एस.आर.–1984–1489–85 दिनांक 10–4–85 द्वारा की गई है।

गावों का एक उप जिले से दूसरे उप जिले में अंतरण

54. गांवों को एक उप जिले से दूसरे उप जिले में अन्तरण के प्रस्ताव जिलाध्यक्ष एवं संभागायुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किये जाना चाहिए तथा उनमें निम्नलिखित जानकारी रहनी चाहिए :–

1. प्रस्ताव का प्रारंभ एवं इतिहास– क्या यह याचिका से आरंभ हुआ है अथवा अन्य किसी प्रकार से।
2. जिन तहसीलों में वे गांव स्थित हो वे तहसीलें और प्रस्तावित परिवर्तन के लिये कोई विशेष कारण।
3. वर्तमान मुख्यालय और प्रस्तावित मुख्यालय से गांवों की वह दूरी जो राजस्व विभाग द्वारा जांच कर निश्चित की गई हो।
4. गांवों के औसत पंजीयन जो पिछले पूरे तीन वर्षों पर आधारित हो।
5. वर्तमान व्यवस्था में जिन कार्यालयों से ये गांव सम्बद्ध है उन कार्यालयों के कार्य पर तथा जिस कार्यालय के पास उन्हें रखने का प्रस्ताव है उस कार्यालय पर इन गांवों के रखने का क्या प्रभाव होगा।

नये पंजीयन कार्यालय खोलने बाबत् प्रस्ताव

55. नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव जिलाध्यक्ष तथा संभागायुक्त के द्वारा उनके अभिमत के साथ प्राप्त होना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित जानकारियां होना चाहिए :–

1. प्रस्तावित कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों से संबंधित विगत 3 वर्षों के वर्षवार कुल पंजीयन कार्य के आंकड़े एवं उनसे प्राप्त वर्षवार पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क से पृथक्–पृथक् आय अधोलिखित परिशिष्ट–1 के अनुसार।
2. प्रस्तावित कार्यालय के ग्रामों की संख्या, क्षेत्रफल, वर्तमान जनसंख्या संबंधी जानकारी अधोलिखित परिशिष्ट–2 के अनुसार।
3. प्रस्तावित कार्यालय की मुख्यालय से दूरी सड़क से/रेल गाड़ी से।
4. प्रस्तावित कार्यालय के मुख्यालय में स्थित शासकीय एवं महत्वपूर्ण अर्द्ध शासकीय कार्यालयों की सूची।
5. प्रस्तावित कार्यालय के मुख्यालय की जनसंख्या।

6. सम्पूर्ण तहसील का नक्शा जिसमें प्रस्तावित कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सीमा लाल स्याही से चिन्हित हो।

7. वर्तमान उप पंजीयक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। उसमें से प्रस्तावित उप पंजीयक कार्यालय के खोलने पर वहां से संबंधित कार्य की मात्रा को देखते हुए क्या वर्तमान कर्मचारियों में कमी करना आवश्यक है? वर्तमान कार्यालय के कौन–कौन से कर्मचारी स्थानान्तरित किये जा सकते है?

8. प्रस्तावित कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची हिन्दी व अंग्रेजी में चार–चार प्रतियों में अधोलिखित अधिसूचना–परिशिष्ट–3 के साथ।

9. क्या कार्यालय की स्थापना हेतु शासकीय भवन उपलब्ध है? यदि नहीं तो गैर सरकारी भवन का मासिक किराया क्या होगा ?

10. प्रस्तावित कार्यालय के लिए फर्नीचर अलमारी आदि की आवश्यकता।

11. अनुमानित व्यय–अधोलिखित परिशिष्ट–चार में

12. क्षेत्र जिसमें नया कार्यालय खोला जाना है, यदि पिछड़ा अथवा अधिसूचित जनजाति क्षेत्र हो, तो इस बाबत् जानकारी।

अनु... ...कारी
...मंत्रालय,
वाणिज्यिक कर विभाग
भोपाल

Scanned with OKEN Scanner